DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नई दिल्ली, 08 फरवरी, 2024 दैनिक जागरण ATED-----------------------

नेहरू प्लेस की मार्केट पूरी तरह अग्नि सुरक्षा से हुई लैस

शनि पाथौली • दक्षिणी दिल्ली

एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस को पूरी तरह अग्नि सुरक्षा से लैस किया गया है। आग की किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए मार्केट में पांच लाख क्यूसिक पानी का टैंक बना दिया गया है।

इस टैंक से सभी बिल्डिंग में पानी के पाइप की फिटिंग कर दी गई है, ताकि आग से जुड़ा कोई हादसा हो तो दमकल की गाड़ियों के आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया जाए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी नेहरू प्लेस में बृहस्पतिवार को नवनिर्मित स्काईवाक और नवीनीकरण कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसी के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मार्केट की फायर सेफ्टी को दुरुस्त किया है।

नवीनीकरण कार्य के तहत मार्केट में आग से निपटने के सभी बिल्डिंग में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां फिलहाल 20 क्यूसिक पानी का टैंक बनाकर पानी के पाइप को सभी बिल्डिंग से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा हौज रील को भी दुरुस्त किया गया है।

इनकी मदद से प्राथमिक स्तर पर ही आग पर काबू पाया जा सकता है। कोई भी अनहोनी होने पर मार्केट को अलर्ट करने के लिए जगह-जगह माइक लगा दिए गए हैं।

नेहरू प्लेस मार्केट को मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाला स्काईवाक • विपिन शर्मा

नेहरू प्लेस मार्केट में बनाया गया मिनी थिएटर • विपिन शर्मा

स्काईवाक से सीधे मेट्रो स्टेशन से मार्केट आ सकेंगे लोग

स्काईवाक से नेहरू प्लेस आने वाले लोगों को बहुत लाभ होगा। वह नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से सीधे मार्केट आ सकेंगे। अब उन्हें सड़क से होकर नहीं जाना पड़ेगा। अभी तक बुजुर्ग, महिला और बच्चों को भारी यातायात होने की वजह से सड़क पार करने में परेशानी होती थी। कई बार सड़क हादसे की संभावना भी बनी रहती थी। स्काईवाक पर लिफ्ट व स्वचलित सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है।

मार्केट में लगाए गए 120 सीसीटीवी कैमरे

नवीनीकरण कार्य के तहत सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मार्केट में 120 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यह मार्केट में लगे पुलिस के कैमरों से अलग है। इनके माध्यम से भी मार्केट में आने वाले संदिग्धों पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा मार्केट में आने वाले दिव्यांगों के लिए रैंप बना दिए गए हैं। सारी सीढ़ियों को दोबारा बनाया गया है।

स्काईवाक शुरू होने व नवीनीकरण से व्यापारियों और ग्राहकों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे मार्केट में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। फायर सेफ्टी के काम को भी मजबूत किया गया है। **-महेंद्र अग्रवाल,** अध्यक्ष, आल नेहरू प्लेस डवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन

सफेद दिखेगी मार्केट

सुंदरीकरण के तहत नेहरू प्लेस मार्केट की बिल्डिंग को एक रंग में कर दिया गया है। सारी बिल्डिंग पर सफेद रंग किया गया है। यहां पर पुराने जमाने की तरह दिखने वाली लाइट लगाई गई है। पार्किंग में भी नई ईंटें बिछाई गई हैं। फिलहाल मार्केट में करीब 98110 भवन और 20500 आफिस हैं। इसके अलावा मार्केट में मिनी थियेटर भी बनाया गया है। यहां व्यापारी अपना कार्यक्रम कर सकेंगे।

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण डकैती के समान : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को डकैती के समान करार देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी से निगरानी बनाए रखने के लिए ड्रोन और सेटेलाइट तस्वीरों जैसी तकनीक का उपयोग करने को कहा। संरक्षित स्मारकों निजामुद्दीन की बावली व बाराखंभा मकबरे के पास एक अनधिकृत निर्माण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि पुलिस और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूचना देने के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई न कर कर्तव्य का गंभीर उल्लंघन किया था।

- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, एमसीडी और डीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की
- डीडीए की भूमि पर निर्माण को सील करने के बावजूद ऊपरी मंजिल पर गेस्ट हाउस का किया गया निर्माण

गैरसरकारी संगठन जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि जब भी कोई अनधिकृत निर्माण होता है तो निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि जनता भूमि खोज रही है और राज्य सरकार संपत्ति खो रही है। याचिका में दावा किया गया था कि बावली गेट के पास खसरा संख्या 556 जियारत गेस्टहाउस, पुलिस बूथ के पास हजरत निजामुद्दीन दरगाह में अवैध और अनधिकृत निर्माण किया गया। अदालत ने कहा कि एमसीडी और डीडीए ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पिछली सुनवाई पर अदालत ने दर्ज किया था कि डीडीए की भूमि पर हुए अवैध निर्माण को सील करने के बावजूद ऊपरी मंजिल पर गेस्टहाउस का निर्माण किया गया था। अदालत ने इन तथ्यों को देखते हुए कहा कि दोनों एजेंसियों के अधिकारियों के बीच कुछ गड़बड़ है।

सुनवाई के दौरान मौजूद गेस्टहाउस मालिक से अदालत ने सवाल किया कि पहले से ही सील की गई संपत्ति पर तीन मंजिलों का निर्माण करने का उसने दुस्साहस कैसे किया। आखिर आपने कानून कैसे हाथ में लिया। लोगों को यकीन है कि कोई कानून नहीं है और किसी कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है। अदालत में मौजूद एमसीडी अधिकारी को फाइल देखने के बाद बृहस्पतिवार को दोबारा पेश होने को कहा है। एमसीडी अधिकारी ने कहा कि इस मामले में डीडीए और एमसीडी दोनों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस पर अदालत ने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह के अतिक्रमण किसी के समर्थन के बिना नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि यदि समर्थन नहीं है, तो मिलीभगत की कोई रणनीति अपनाई गई है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने कहा था कि अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफलता पर एमसीडी और डीडीए की खिंचाई की थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2024 दैनिक जागरण SPAPERS----------DATED----------

वर्ष 2024-25 के लिए 8811 करोड़ रुपये का बजट पारित

- नए वित्त वर्ष में कई विकास परियोजनाएं शुरू करेगा दिल्ली विकास प्राधिकरण
- बेहतर आवास, लैंडस्केप के सुंदरीकरण और विरासत भवनों के जीर्णोद्धार पर जोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अध्यक्ष वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 8,811 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया गया। केंद्र सरकार के अनुरूप इसमें वार्षिक आवंटन का 61 प्रतिशत (लगभग) पूंजीगत व्यय शामिल है। एलजी ने कहा कि प्राधिकरण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कई विकासात्मक परियोजनाएं शुरु करेगा, जिनमें बेहतर आवास, लैंडस्केप के सौंदर्यीकरण और राजधानी के विरासत भवनों के जीर्णोद्धार और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सक्सेना ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित व्यय का वित्त पोषण राजस्व से किया जाएगा, जिसके लिए अनुमानित 9182 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।बोर्ड बैठक में सामने आया कि एलजी और अधिकारियों के नेतृत्व में बेहतर रणनीतियों के कारण, डीडीए की कुल प्राप्तियां पिछले वर्ष के 4392 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 75 प्रतिशत तक की वृद्धि के साथ 7696 करोड़ रुपये हो गईं। अगले वर्ष के अनुमानों में डीडीए ने अपना राजस्व लक्ष्य 9182 करोड़ रुपये आंका है, जो चालू वर्ष से लगभग 19 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार डीडीए ने चालू वित्तीय वर्ष में बड़े पैमाने पर विकासात्मक गतिविधियों पर 8804 करोड़ रुपये की राशि व्यय की, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 69 प्रतिशत अधिक है, जबकि व्यय 5189 करोड़ रुपये था। अगले वर्ष, डीडीए ने व्यय को चालू वर्ष के समान स्तर पर रखने का लक्ष्य रखा है। नागरिक बुनियादी ढांचे पर रखरखाव व्यय के आवंटन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

गौरतलब है कि 'दिवाली विशेष आवास योजना' की सफलता डीडीए के सामान्य विकास खाते (जीडीए) के बजट में दिखाई देती है, जो संशोधित अनुमान 2023-24 के अनुसार 262 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2024-25 में 2145 करोड़ रुपये अधिशेष होने का अनुमान है। दस वर्ष बाद पहली बार है, जब डीडीए का बजट अधिशेष में होगा।

विकास को गति » संपादकीय

विकास को गति

डीडीए के बजट में इस बार ढांचागत विकास पर बल दिया गया है। योजनाओं के लिए फंड आवंटन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है। नई घोषणाओं की जगह पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली में बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए ढांचागत विकास पर ध्यान देने की जरूरत है और इस दिशा में सही कदम उठाया गया है। नरेला को उपनगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपनगर द्वारका और रोहिणी में सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति, जल निकासी की स्थिति सुधारने की जरूरत है। इस दिशा में किए जा रहे कामों में तेजी लाने की जरूरत है। गांवों के विकास के लिए ग्रामोदय अभियान शुरू किया गया है, जिसमें फंड की कमी नहीं होनी चाहिए।

डीडीए के बजट में पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है, इससे दिल्ली में निर्माण कार्यों में तेजी आएगी

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर है। यमुना को साफ करना बड़ी चुनौती है। यमुना तट को साफ करने के साथ ही हरियाली बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए पिछले वर्ष सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। असिता ईस्ट, बांसेरा, वासुदेव घाट जैसे पार्क विकिसत किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। पर्यावरण और यमुना के हित में विशेषज्ञ जैविक उद्यान विकसित करने की सलाह देते हैं। डीडीए ने इस तरह के उद्यान विकसित किए हैं। बजट में भी इनका प्रविधान है। इसी तरह से दिल्ली के हित में कई और कदमों की घोषणा की गई है। जिन पर गंभीरता से अमल करने की जरूरत है, जिससे दिल्लीवासियों को इनका लाभ मिल सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

www.delhi.nbt.in दिल्ली : महानगर : महाकवरेज । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 8 फरवरी 2024
मोहन गार्डन। अर्जुन नगर। छतरपुर। शिवालिक। घोंडा। गुरु नानक नगर। मीरा बाग। खेल गांव। गौतम नगर। पुष्प विहार। नांगलोई। बादली। ⇨⇨

8811 करोड़ के बजट से DDA सुधारेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

AI generated image

AI इमेज हमने इसलिए ली है कि ग्रीन स्पेस को डिवेलप करने के लिए बजट में 65 करोड़ का प्रस्ताव है

डीडीए ने 2024-25 के सालाना बजट को मंजूरी दे दी है। इस साल शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और विकास के लिए 8811 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में बजट को मंजूरी दी गई। इस साल बजट को करीब 75 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। पिछले साल डीडीए का बजट 4392 करोड़ था। डीडीए ने इस साल अपने रेवेन्यू टारगेट को भी 19 प्रतिशत बढ़ाकर 9182 करोड़ किया है।

दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम की सफलता से डीडीए को उम्मीद है कि जनरल डिवेलपमेंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। 2023-24 में यह 262 करोड़ सरप्लस और 2024-25 में 2145 करोड़ सरप्लस रह सकता है। बीते दस साल में पहली बार यह अकाउंट सरप्लस में आने की संभावना है।

विकास को मिलेगी रफ्तार

- मेट्रो, यूईआर-2, ग्रामोदय प्रोजेक्ट के अलावा पार्कों के रीडिवेलपमेंट के लिए भी दिया गया फंड
- टीओडी, मेट्रो फेज-4, यूईआर-2, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन, हाउसिंग, पार्कों के लिए बजट किया गया अलॉट
- राजघाट पावर प्लांट को एजुकेशनल पब्लिक प्लेस के तौर पर विकसित करने के लिए दो करोड़ का बजट

बजट की मुख्य बातें

- लैंड डिवेलपमेंट और फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए डीडीए ने 3460 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इसका इस्तेमाल सब सिटी नरेला, द्वारका, रोहिणी और अन्य एरिया की सड़कों, सीवरेज, वॉटर सप्लाई, पावर लाइंस, ड्रेनेज, ब्यूटीफिकेशन, स्ट्रीटस्केपिंग के लिए किया जाएगा
- यूईआर-2 के लिए इस साल 1590 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। यूईआर-2 प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 6421 करोड़ है।
- दिल्ली मेट्रो फेज-4 के लिए इस वित्त वर्ष में 390 करोड़ को मंजूरी दी गई है। पिछले साल इसे 350 करोड़ दिए गए थे। इसमें से 275 करोड़ रुपये 2024-25 में मंजूर किए गए है।
- मैदानगढ़ी में प्रस्तावित सार्क यूनिवर्सिटी और CAPFIMS (सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) को छतरपुर रोड से जोड़ने के लिए 100 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है।
- नेहरू प्लेस और भीकाजी कामा प्लेस में दो मल्टीलेवल पार्किंग का काम चल रहा है। इसके अलावा एक अन्य मल्टीलेवल पार्किंग नेताजी सुभाष प्लेस में प्रस्तावित है। इसके लिए 70 करोड़ का बजट इस साल मंजूर किया गया है।
- दिल्ली ग्रामोदय योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2023 में यह अभियान एलजी ने लॉन्च किया था।
- किराड़ी ट्रंक ड्रेन, द्वारका स्ट्रॉम वॉटर चैनल नंबर 2 और पांच, द्वारका सेक्टर-8 स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन और रानीखेड़ा से रोहिणी सेक्टर-40 के बीच स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन का काम चल रहा है। इसके लिए 165 करोड़ का बजट दिया गया है।
- यमुना फ्लडप्लेन को रिस्टोर करने के लिए असिता ईस्ट, बांसेरा और वासुदेव घाट को 142 करोड़ रुपये दिए गए है।
- द्वारका सेक्टर-20 में बन रहे भारत वंदना पार्क के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। बायोडायवर्सिटी पार्क की मेंटिनेंस के लिए 66 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है। ग्रीन स्पेस को डिवेलप करने, अपग्रेड करने के लिए 65 करोड़ रुपये का बजट में प्रस्ताव है। वॉटर बॉडी को दुरुस्त करने और ट्रीटेड पानी के एसटीपी पाइपलाइन से इस्तेमाल के लिए 45 करोड़ का बजट दिया गया है।
- राजघाट पावर प्लांट को एजुकेशनल पब्लिक स्पेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहां मौजूद चिमनी का इस्तेमाल आकर्षक लाइटिंग और लेजर शो के लिए किया जाएगा। इसके लिए दो करोड़ का बजट दिया गया है। दिल्ली चलो पार्क, घटा मस्जिद पार्क, सद्भावना पार्क और उर्दू अकादमी पार्क के रीडिवेलपमेंट के लिए 37 करोड़ का बजट दिया गया है।
- द्वारका में तीन, रोहिणी में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा द्वारका में एक गोल्फ कोर्स बनाने का काम चल रहा है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नरेला में प्रस्तावित है। इसके लिए 266 करोड़ का बजट दिया गया है।
- हाउसिंग प्रोजक्ट के लिए 2024-25 में 1953 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। कड़कड़डूमा में टीओडी का काम चल रहा है। यहां 22 मंजिल कंस्ट्रक्शन में 497 वन बीएचके अपार्टमेंट तैयार हो रहे है। इसके अलावा 1026 फ्लैट 2बीएचके के बन रहे है। इसके लिए 450 करोड़ रुपये अलॉट किए गए है। झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के लिए इन सीटू रीडिवेलपमेंट योजना को 62 करोड़ रुपये बजट में दिए गए है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 8 फरवरी 2024 PAPERS----------DATED----------

विकासपुरी : तालाब की जगह बन रही बिल्डिंग का किया विरोध

■ राजेश पोद्दार, विकासपुरी

लोगों ने इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया

विकासपुरी के बुढ़ेला गांव में एक पुराने तालाब पर साहित्य कला परिषद के लिए बनाई जा रही बिल्डिंग का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें दिल्ली के सभी जलस्रोतों को संरक्षण करने की बात कही गई है।

दरअसल बुढ़ेला गांव के एक पुराने जोहड़, जो कि अब सूख चुका है, इसका एरिया करीब एक एकड़ का बताया जा रहा है। डीडीए के हस्तक्षेप के बाद इसे अब दिल्ली सरकार के साहित्य कला परिषद को सौंप दिया गया है। साहित्य कला परिषद के लिए यहां पर दो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर समेत 3 मंजिल की इमारत बनाई जा रही है। यहां रहने वाले सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक पारस त्यागी ने इस संबंध में अब दिल्ली के एलजी, सीएम और मुख्य सचिव को शिकायत देकर तालाब के रूप में ही डेवलप करने और सौंदर्यीकरण की मांग की है। यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

हिन्दुस्तान

डीडीए के बजट में विकास कार्यों को मंजूरी मिली

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवार को डीडीए के वार्षिक बजट (2024-25) को मंजूरी दे दी गई है। यह बजट 8811 करोड़ का है।

प्राधिकरण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान कई विकास परियोजनाएं शुरू करेगा। इसमें बेहतर आवास, शहर के सौंदर्यीकरण और राजधानी के विरासत भवनों के जीर्णोद्धार और संरक्षण शामिल हैं। द्वारका में 3 नए खेल परिसर, रोहिणी में एक खेल परिसर का और द्वारका में एक गोल्फ कोर्स का निर्माण कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है। नरेला के लिए एक नए खेल परिसर का प्रस्ताव बजट में किया गया है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अनुसार प्राधिकरण ने भूमि और भौतिक आधारिक संरचना के विकास के लिए 3460 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें नरेला, द्वारका, रोहिणी उपनगरों तथा अन्य क्षेत्रों के खाली हिस्से में सड़कें, सीवेज, जल आपूर्ति, बिजली लाइनें, जल निकासी, सौंदर्यीकरण और सड़कों का निर्माण शामिल है।

हिन्दुस्तान

यमुना के घाट पर हरिद्वार और बनारस की तरह आरती होगी

आस्था दिल्ली में जल्द ही यमुना घाट पर हरिद्वार और बनारस की तरह भव्य आरती का नजारा दिखेगा। कभी कुटिया घाट के नाम से मशहूर कश्मीरी गेट के पास रिंग रोड के किनारे वासुदेव घाट को आरती के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि, इसकी तैयारी जी-20 सम्मेलन से पहले शुरू कर दी गई थी, लेकिन यमुना में आई बाढ़ ने इस काम को प्रभावित किया। अब एलजी वीके सक्सेना ने फिर से डीडीए को यहां काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यहां पर आरती का आयोजन भी किया गया था। यहां घाटों का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया गया है। ट्यूलिप के पौधे लगाए जा रहे हैं। घाटों की सीढ़ियां बन रही हैं। इसके अलावा छोटे-छोटे हट भी तैयार हो रहे हैं। ●तस्वीरें सलमान अली

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, FEBRUARY 8, 2024 DATED

'Encroachment On Public Land Dacoity'

HC: CBI May Be Roped In For Probe

Abhinav.Garg@timesgroup.com

New Delhi: Public losing land to encroachment is like dacoity as state loses assets, Delhi High Court said on Wednesday. It warned that Central Bureau of Investigation (CBI) may be roped in to probe lapses and fix accountability of civic officials in a case of illegal construction near protected monuments in the heart of the capital.

The court said it was shocking that unauthorised construction could take place 20 metres from centrally protected monuments Nizamuddin ki Baoli and Barakhamba Tomb and near the local police station. It asserted that action has to be taken by authorities whenever there is an unauthorised construction in order to protect innocent citizens who may end up buying the same and later suffer the consequences.

The court asked Municipal Corporation of Delhi (MCD) to deploy technologies such as drones and satellite images to maintain better vigil. "Encroachment is the worst form of construction. It is like committing dacoity. Public is losing land. State is losing assets. This couldn't have happened in the heart of the city without tacit connivance of officials. We won't let it pass," a bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet PS Arora told a senior officer of MCD who was present in the court.

The court asked the officer to remain present on Thursday after studying the file related to the matter, so that the bench can find out at what stage there was "serious dereliction" of duty. It directed Delhi Development Authority (DDA) to send the officer who dealt with the matter and the Archaeological Survey of India to come prepared.

The court was hearing a public interest litigation by NGO Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society, which claimed that "illegal and unauthorised construction" was being done at khasra number 556 near Hazrat Nizamuddin Dargah.

Observing that neither MCD nor DDA had acted against the unauthorised construction, which was stated to have taken place on the upper floors of an already sealed guesthouse that was illegally built on DDA land, the court also grilled the owner of the guesthouse how he had the "audacity" to construct three floors on an already sealed property. "He is taking the law into his own hands. People in Delhi are convinced there is no law...and no law needs to be complied with," an angry bench remarked.

Last week, the court had opined that "prima facie, the matter requires investigation by CBI."

DDA's demolition action in Khirki Extension

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday carried out a major demolition drive against illegal shops that had come up on its huge land in Khirki Extension area, next to Malviya Nagar. A senior official said a drive to remove the encroachment on this land had been scheduled for a long time. "Illegal constructions were removed by the land management department. We have recovered our land and will now do fencing, if required, and install boards at the site to ensure no encroachment happens here again," said the official. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, FEBRUARY 8, 2024

----------DATED----------

DDA Budget: 75% Rise In Collection This Year

Target Of 19% Increase In Receipts Next Year

HOUSING, SPORTING INFRA IN FOCUS

DDA achieved a 75% increase in revenue in current financial year (2023-24)

TOTAL RECEIPTS

2023-24 ₹7696 cr

2022-2023 ₹4,392 cr

In 2024-25, 19% increase projected in **revenue collection**, target of ₹9,182 crore

Expenditure up to ₹8,804 crore, an increase of nearly 69%; in 2022-23, the expenditure stood at ₹5,189 crore

For 2024-25, the **proposed outlay** is ₹8,811 crore

ALLOCATION

Ongoing housing projects	₹1,953 cr
Development of land and infrastructure in sub-cities like Narela, Dwarka & Rohini	3,460
Dilli Gramodaya Abhiyan	600
Redevelopment and treatment of water at five major truck drains	165
Rejuvenation and restoration of Yamuna floodplain	142
Completion of work at Bharat Vandana Park	150
Completion of three new sports complexes in Dwarka and Rohini	266

Success of Diwali special housing scheme reflected in the budget figures of General Development Account

Projects, such as housing and in situ development, clean and green Delhi, promotion of sports infrastructure, development of civic infrastructure, will continue to be core areas for expenditure

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Aggressive strategies and acceleration of development projects helped Delhi Development Authority achieve a 75% increase in receipts in the 2023-24 financial year. While the civic body logged Rs 7,696 crore as revenue in 2023-24, the collections had totalled Rs 4,392 crore in 2022-23.

Motivated by the figures, DDA has projected a 19% increase in revenue collection in the next fiscal, targeting Rs 9,182 crore under this head in 2024-25. A meeting chaired by lieutenant governor VK Saxena, who is also the DDA chairman, approved the budget estimates for 2024-25 with a total outlay of Rs 8,811 crore on Wednesday.

Owing to massive developmental activities that the DDA undertook, the expenditure in 2023-24 touched Rs 8,804 crores, which is an increase of nearly 69% over the expenditure of Rs 5,189 crore in 2022-23. An official said, "Next year, DDA aims to limit expenditure to the same level as the current year."

The LG said, "DDA will undertake several developmental projects in the next financial year focused on better housing, aesthetic upgradation of the landscape and restoration and preservation of the capital's heritage. The proposed expenditures in 2024-25 for these projects will be financed from the revenues, which are projected at Rs 9,182 crore." said the LG while appreciating the gradual financial turnaround that DDA has been achieving.

Housing and in-situ development of slums, clean and green Delhi, promotion of sports infrastructure for a healthy and fit Delhi and development of civic infrastructure will continue to be core areas for spending in the new financial year.

"A budget of Rs 3,460 crore has been made for development of land and physical infrastructure in the sub-cities of Narela, Dwarka, Rohini and other areas," an official said. "The spendings include Rs 400 crore to enable the completion of the Urban Extension Road-II, for which the budgetary support increased from Rs 920 crore to Rs 1,590 crore in 2023-24. Similarly, for Phase IV of the Delhi Metro expansion, in 2023-24 the allocation increased from Rs 350 crore to Rs. 390 crore, while Rs 275 crore has been provided for this purpose in the 2024-25 budget.".

Cantilevered car parkings at Nehru Place and Bhikaji Cama Place are in progress. In addition, a multi-level car parking has been proposed at Netaji Subhash Place and a provision of Rs 70 crore made for it in 2024-25.

DDA has also demarcated Rs 600 crore in 2024-25 and Rs 300 crore in the revised estimates of 2023-24 for the Dilli Gramodaya Abhiyan. A sum of Rs 165 crore has been proposed for the redevelopment of and treatment of water in the Kirari trunk drain, the storm water drain in Dwarka Sector 8, trunk drains 2 and 5 at Dwarka and the drain from Rani Khera to Sector 40 in Rohini.

Another major allocation of Rs 1,953 crore in 2024-25 is for ongoing housing projects across Delhi. This includes construction of the remaining residential complexes in phase I of the transit-oriented development (TOD) project at Karkardooma and the in-situ slum rehabilitation projects.

Rejuvenation and restoration of the Yamuna floodplain has created spaces that can be easily accessed by the citizens such as Asita East near ITO Bridge, Baansera in Sarai Kale Khan and Vasudev Ghat near the Kashmere Gate ISBT. DDA allocated Rs 96 crore for these projects in 2023-24 and Rs 142 crore in 2024-25, and Rs 96 in 2023-24. For the completion of the construction of the Bharat Vandana Park in Dwarka Sector 20, a provision of Rs 150 crore was made in 2023-24 and Rs 200 crore in 2024-25. A sum of Rs 266 crore has been allocated in 2024-25 for new sports complexes in Dwarka and Rohini and a golf course in Dwarka.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times -DATED----------

Metro, parks, housing in focus in DDA budget

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) on Wednesday enhanced allocations to various public infrastructure and housing projects as well as announced aesthetic revamp of buildings and parks in various areas with the agency finalising its budget for the 2024-25, senior officials aware of the matter said.

They said that the authority has fixed a revenue target of ₹9,182 crore for the next year and has planned to spend ₹8,804 crore on various ongoing and new projects.

In the urban transport sector, the authority has enhanced allocations in two major areas --- the Urban Extension Road-II and the phase IV expansion of the Delhi Metro.

According to officials aware of the budget deails, the authority aims to complete the construction of UER-2 road with the allocation for Ring Road around Delhi going up from ₹920 crore to ₹1,590 crore. UER-II begins in north from NH44 between Bankoli and Alipur, goes via Bawana Industrial Area, Rohini, Mundka, Bakkarwala, Najafgarh and meets Dwarka Expressway near IGI Airport tunnel, culminating at at NH48 (Shiv Murti).

Similarly, the allocations for Phase IV of Delhi Metro projects have been enhanced from ₹350 crore to ₹390 crore.

The authority said it will spend ₹120 crore on constructing roads to connect SAARC University and CAPFIMS (Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences) in Maidangarhi. The agency has also proposed to develop a new multilevel parking lot at Netaji Subhash Place at a cost of ₹70 crore. DDA is already working on two multilevel car parking lots at Nehru Place and Bhikaji Cama Place.

Under the agency's plans to revamp urban landscapes, DDA says it will spend ₹2 crore on transforming the Rajghat Power Plant into an educational public space through facade illumination and laser shows. It added that also undertake the redevelopment of Dilli Chalo Park, Ghata Masjid Park, Sadhbhavna Park and Urdu Academy Park behind the Red Fort.

In the housing sector, the agency announced that the allocation for the ongoing housing projects under the Transit-Oriented Development (TOD) in east Delhi's Karkardooma will see enhanced allocation from ₹245 crore to ₹450 crore.

Aim at infra boost

DDA has fixed a revenue target of ₹9,182 crore for 2024-25, plans to spend ₹8,804 crore on ongoing and new projects

- ₹1,590 cr — UER-2 road
- ₹390 cr — Delhi Metro phase 4
- ₹266 cr — Sports complex in Narela
- ₹450 cr — Ongoing housing projects in east Delhi
- ₹70 cr — Multilevel parking in NW Delhi
- ₹62 cr — Houses for slum dwellers
- ₹2 cr — Transforming Rajghat power plant into an educational public space

Encroachment on public land is akin to dacoity: High court

Shruti Kakkar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Encroachment on public land is akin to dacoity, the Delhi high court has remarked even as it reprimanded the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and the Delhi Development Authority (DDA) for their failures to act against the unauthorised construction in a sealed guest house within 100 meters of the centrally protected monument "Nizamuddin ki Baoli" and the Barakhamba Tomb.

"Encroachment is the worst form of construction. It is like committing dacoity... public is losing land... state is losing assets. This is something serious. Government has lost possession of its land," a bench led by the acting chief justice said to an MCD official.

The court urged the agencies to use newer technologies like drones or satellite images to maintain a vigil. The court was hearing a plea filed by an NGO, Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society, seeking to halt and demolish the illegal construction being carried out in the guest house.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2024
----------DATED----------

REJUVENATING YAMUNA FLOODPLAINS A PRIORITY

In DDA's annual budget, focus on infrastructure, environment

UPASIKA SINGHAL
NEW DELHI, FEBRUARY 7

MORE FUNDS for key transport projects; new sports complexes and a golf course; rejuvenating the Yamuna floodplains and creating scenic riverfront spaces like Asita East, Baansera, and Vasudev Ghat; more biodiversity parks — The Delhi Development Authority's annual budget for 2024-25 is focusing on a slew of infrastructure and environment work.

The land authority approved the budget with an outlay of Rs 8,811 crore; it has dedicated 61% of its total allocations to infrastructure work. In 2023-24, the DDA's revenue increased to Rs 7,696 crore — up 75% compared to the previous year's Rs 4,392 crore, said officials. For the coming year, the authority is projecting a nearly 19% revenue increase to Rs 9,182 crore.

Its expenditure for the current fiscal year has been increased to Rs 8,804 crore — up 69% from the previous year's Rs 5,189 crore.

L-G VK Saxena, who is also the DDA chairman, outlined the authority's forthcoming developmental projects, emphasising initiatives aimed at enhancing housing, landscape aesthetics, and the preservation of Delhi's heritage.

Saxena said the proposed expenditures for these projects in the upcoming fiscal year will be funded through the projected revenues.

Key highlights

UER II: The project, costing Rs 6,421 crore (specifically for the Delhi section), is nearing completion. Budget allocations for 2023-24 have been increased from Rs 920 crore to Rs 1,590 crore. Additionally, Rs 400 crore has been allocated for the project's completion in the Budget Estimate (BE) for 2024-25.

Delhi Metro Phase IV: Funding raised from Rs 350 crore to Rs 390 crore for 2023-24. Rs 275 crore has been provisioned in the BE for 2024-25.

Dilli Gramodaya Abhiyan: Rs 959 crore transferred to DDA from the Delhi government's Revenue department. Budget provisions of Rs 600 crore and Rs 300 crore were made in the BE for 2024-25 and Revised Estimates (RE) for 2023-24, respectively.

OTHER PROPOSALS

- Development of civic infrastructure such as roads, sewerage, water supply, power lines, drainage, and beautification, primarily in vacant areas of sub-cities like Narela, Dwarka, and Rohini
- Construction of Karkardooma residential complex on Transit-Oriented Development norms
- Pucca houses for slum dwellers through in-situ slum redevelopment/rehabilitation initiatives
- Focus on reviving water bodies and revitalising public parks

Delhi Metro Phase IV's funding has been raised from Rs 350 crore to Rs 390 crore. *Archive*

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NAME OF NEWSPAPER THURSDAY | FEBRUARY 8, 2024 TED----------

₹8,811 cr DDA Budget approved

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Rapid development of infrastructure including roads, sewerage, water supply and development of urbanised villages in the national capital are the main focus of the Delhi Development Authority (DDA) budget totalling Rs 8,811 crore for 2024-25 approved by its chairperson Lt Governor Vinai Kumar Saxena here on Wednesday.

Giving details, DDA officials said the approved annual budget is in line with the emphasis of the Union Government, capital expenditure constitutes 61% (approximately) of the annual allocations.

The salient features of the budget for the next fiscal include development of civic infrastructure with an allocation of Rs. 3,460 crore for development of land and physical infrastructure which includes roads, sewerage, water supply, power lines, drainage and beautification, streetscaping primarily in the vacant portion of land in sub cities of Narela, Dwarka, Rohini and other areas.

The other key focus of the budget is transport. The work on the construction of UER-II having project cost Rs. 6,421 crore (for Delhi portion only) is fast nearing completion. Given the fast pace of execution, the allocations for 2023-24 have been enhanced from Rs. 920 crore to Rs. 1,590 crore. Provision of Rs. 400 crore has been made towards completion of the project in BE 2024-25.

Similarly, the allocations for Phase IV of Delhi Metro projects in 2023-24 have been enhanced from Rs. 350 crore to Rs. 390 crore. Provision of Rs. 275 crore has been made in BE 2024-25. Construction of road to connect SAARC University and CAPFIMS (Central Armed Police Forces Institute of Medical Sciences) in Maidangarhi with Chhatarpur road is being taken up on priority. Provision of Rs. 100 crore & Rs.20 crore have been made in BE 2024-25 RE 2023-24 respectively.

In December last year, Saxena launched the Dilli Gramodaya Abhiyan (DGA) with an overall objective to develop and create necessary infrastructure in the recently urbanized villages by utilizing the funds of Rs. 959 Crore (approximately) transferred to the DDA from Revenue Department. Provision of Rs. 600 crore, Rs.300 crore has been made in BE 2024-25 & RE 2023-24 respectively.

Rejuvenation and restoration of Yamuna River floodplains in order to enhance the ecological health of the Yamuna River ecosystem. Prominent spaces on the riverfront being created for the residents of Delhi include Asita East near ITO bridge, Baansera near Sarai Kale Khan Bus Depot and Vasudev Ghat near ISBT, Kashmiri Gate. Provision of Rs. 142 crore & Rs.96 crore has been made in BE 2024-25 & RE 2023- 24 respectively. Construction of iconic Bharat Vandana Park in sector 20, Dwarka. Provision of Rs. 150 crore; Rs.200 crore has been made in BE 2024-25; RE 2023-24 respectively. Development; maintenance of Biodiversity Parks across Delhi for environmental conservation and promotion of biodiversity. Provision of Rs. 66 crore; Rs.40 crore has been made in BE 2024-25; RE 2023-24 respectively. Transforming Rajghat Power Plant into an educational public space and highlighting the existing chimney through facade/illumination lighting and laser shows.

राष्ट्रीय सहारा

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण डकैती के समान : हाईकोर्ट

■ निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें : अदालत

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को डकैती के समान बताते हुए बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से निगरानी बनाए रखने के लिए ड्रोन और उपग्रह छवियों जैसी तकनीक का उपयोग करने को कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की एक पीठ ने केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों निजामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास एक अनधिकृत निर्माण पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अधिकारियों द्वारा 'कर्तव्य निर्वहन में गंभीर चूक' की गई जिन्होंने पुलिस और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सूचना के बावजूद जमीन पर काम नहीं किया। पीठ ने कहा, 'ड्रोन और उपग्रह छवियों जैसी नयी तकनीक का उपयोग करें। अतिक्रमण निर्माण का सबसे खराब रूप है। यह डकैती करने जैसा है। जनता जमीन गंवा रही है। राज्य संपत्ति खो रहा है। अदालत एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि न तो एमसीडी और न ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की, जो कि पहले से ही सील किए गए एक गेस्टहाउस की ऊपरी मंजिल पर हुआ है, जिसका निर्माण स्मारकों के पास डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों प्राधिकारियों के बीच 'कुछ गड़बड़ है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI I THURSDAY I FEBRUARY 8, 2024 S----------DATED----------

DDA okays changes in land use to boost public infrastructure

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) has approved changes in land use in Ghazipur, Auchandi village and Jangpura to enhance public infrastructure, along with giving the nod to housing schemes to boost the sector and for the development of Narela sub-city. The decisions were taken at a meeting of the DDA held here on Monday. It was chaired by Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena, who is also the chairman of the department. The authority has also allowed participation of non-governmental legal entities to purchase built up properties in bulk offered by it. "Any private entity with a registered office or campus in Delhi/ NCR region can now purchase residential flats of DDA in bulk for use as residential staff quarters, hostel, etc.

Such a policy will enable the growth and development of private industrial, educational and other sectors in upcoming areas like Narela leading to the overall development of the city," it said.

"Several decisions were given the go-ahead for housing schemes to boost the sector and for development of Narela sub-city. The authority approved the proposals on change of land use in public interest - in Ghazipur for setting up RFID, in Auchandi village for construction of electrical sub-station, in Jangpura for RRTS installations," the statement read.

Extension in timelines was provided for 23 non-conforming industrial clusters for submission of re-development plans, it said, adding that the authority sanctioned the pre-determined rates for 2023-24 of Rohini phase IV and V, Tikri Kalan and Narela.

The statement further said that the e-auction mode of the Diwali Special Housing Scheme 2023 was launched on November 30, 2023, and closed on December 29, 2023. Out of 2,093 flats on offer, 3,078 earnest money deposits (EMD) were received against 812 flats and 744 flats were booked, it said.

"The authority approved that for the left-out flats of Sector 19B and Sector 14, Dwarka, another round of e-auction be carried out quickly. With regard to MIG flats at Loknayakpuram it was decided to offer them through FCFS mode," the statement read.

A discount of 15 per cent to the general public and 25 per cent to employees of the central government, state government and government autonomous bodies would be offered as an incentive for more than 440 flats at Sector A1-A4, Narela, in the ongoing first come first serve (FCFS) scheme, it said.

दैनिक भास्कर

एलजी सक्सेना ने डीडीए के 8,811 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी

एजेंसी | नई दिल्ली

एलजी और डीडीए के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को डीडीए के आगामी सत्र के 8811 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट को मंजूरी दे दी है। ये राशि केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के वार्षिक आवंटन का लगभग 61 प्रतिशत होती है। पिछले वर्ष डीडीए की कुल प्राप्तियां 4392 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 75 प्रतिशत के भारी उछाल के साथ 7696 करोड़ रुपए हो गई। अगले वर्ष के अनुमानों में डीडीए ने अपना राजस्व लक्ष्य 9182 करोड़ रुपए आंका है, जो चालू वर्ष से लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी तरह डीडीए ने चालू वित्तीय वर्ष में बड़े पैमाने पर विकासात्मक गतिविधियों के कारण 8804 करोड़ की राशि खर्च की, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 69% की वृद्धि है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPER THURSDAY, 8 FEBRUARY, 2024 | NEW DELHI

'PUBLIC IS LOSING LAND. STATE IS LOSING ASSETS'

HC: Encroachment on public land is dacoity, use tech to maintain vigil

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court on Wednesday said encroachment on public land was like dacoity and asked the Municipal Corporation of Delhi (MCD) to use technology such as drones and satellite images to maintain vigil.

A bench headed by Acting Chief Justice Manmohan expressed its displeasure over an unauthorised construction near centrally protected monuments Nizamuddin ki Baoli and Barakhamba Tomb, and remarked that there was "serious dereliction of duty" by officials who did not work on the ground in spite of intimation by police and the Archeological Survey of India (ASI).

"Use new technology like drones and satellite images. Encroachment is the worst form of construction. It is like committing dacoity. Public is losing land. State is losing assets," the bench, also comprising Justice Manmeet PS Arora, said.

The court asserted that action has to be taken by authorities whenever there is an unauthorised construction in order to protect innocent citizens who may end up buying the same and later suffer the consequences.

Highlights

- A bench headed by Acting Chief Justice Manmohan expressed its displeasure over an unauthorised construction near centrally protected monuments Nizamuddin ki Baoli and Barakhamba Tomb
- The court asserted that action has to be taken by authorities whenever there is an unauthorised construction in order to protect innocent citizens who may end up buying the same and later suffer the consequences

The court was hearing a public interest litigation by NGO Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society claiming that "illegal and unauthorised construction" was being done at "Khasra number 556 Ziyrat guesthouse near Baoli gate, Hazrat Nizamuddin Dargah near police booth".

Observing that neither the MCD nor the Delhi Development Authority (DDA) had acted against the unauthorised construction, which was stated to have taken place on the upper floors of an already sealed guesthouse that was illegally built on DDA land near the monuments, Justice Manmohan said, "There was something amiss" between the two authorities.

The court also questioned the owner of the guesthouse on how he had the "audacity" to construct three floors on an already sealed property.

"He is taking the law into his own hands. People are convinced there is no law... and no law needs to be complied with," the court said.

The court asked the MCD official present in the hearing to appear before it on Thursday as well after going through the file. It also sought the presence of the DDA official concerned.

The MCD official said that both the DDA and the MCD should have taken action in the matter. "Some action has to be taken against these officials. These things can't happen without someone's support. If not support, some tactic of connivance has taken (place)," the court said.

On February 1, the court had said that civic authorities must work together against illegal construction and pulled up the MCD and the DDA over their failure to act against the unauthorised construction.

While seeking the presence of the building's owner, it had opined that "prima facie, matter requires investigation by the CBI (Central Bureau of Investigation)". It had earlier observed that such construction was prima facie not possible without the connivance of police and civic authorities.

INCOME RISES 75% TO Rs 7,696 CRORE OVER PREVIOUS FINANCIAL YEAR

DDA okays annual Budget of Rs 8,811 cr for 2024-25

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has approved an annual Budget worth Rs 8,811 crore for 2024-2025, it was announced on Wednesday.

According to the Authority, DDA received 75 per cent more income in the current financial year, which amounts to Rs 7,696 crore, as compared to Rs 4,396 crore in the previous financial year. For the upcoming year, they have set their revenue targets to Rs 9,182 crore, hoping for a 19 per cent increase from 2023-2024.

Similarly, expenditure in the ongoing financial year also increased by 69 per cent, with the Authority undertaking developmental projects worth Rs 8,804 crore. They are expecting to maintain the same expenditure for the next financial year as well.

Key Points

- For the upcoming year, they have set their revenue targets to Rs 9,182 crore, hoping for a 19 per cent increase from 2023-2024
- Similarly, expenditure in the ongoing financial year also increased by 69 per cent, with the Authority undertaking developmental projects worth Rs 8,804 crore

Delhi Lieutenant Governor (L-G) and DDA Chairperson, V K Saxena said, "The Authority will undertake several developmental projects during the next Financial Year that will focus on better housing, aesthetic upgradation of the landscape and restoration and preservation of the Capital's heritage. The proposed expenditures in the next Financial Year 2024-25 for these projects will be financed from the revenues, which have been projected at Rs 9,182 crore."

The Authority has allotted Rs 3,460 crore for development of land and physical infrastructure. This includes roads, sewerage, water supply and other civic amenities along with streetscaping primarily in the sub cities of Narela, Dwarka, Rohini and other areas.

Further, they will focus on the construction of Sporting Complexes in Dwarka, Rohini and Narela. Rs 1,953 crore will go towards ongoing housing projects in Delhi, while separate efforts are being made to provide permanent housing to slum dwellers through in-situ slum redevelopment and rehabilitation.

Additionally, DDA claimed that the revenues received from their Diwali Special Housing Scheme, reflected in the General Development Account (GDA), is expected to be in surplus of Rs 262 crore and Rs 2,145 crore according to the Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025 respectively.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED---8 फरवरी • 2024

राष्ट्रीय सहारा

जहां झुग्गी वहां मकान के लिए 1953 करोड़ रुपए

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुनियादी विकास पर फोकस करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 8811 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। डीडीए बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बजट का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि डीडीए की मजबूत रणनीति की वजह से राजस्व में 75 फीसद का इजाफा हुआ है। खास बात यह कि जहां झुग्गी-वहीं मकान योजना के तहत झुग्गी क्लस्टरों के विकास के लिए 1953 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में डीडीए को 7696 करोड़ का राजस्व मिला है, जबकि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 4,392 करोड़ था। राजस्व में बढ़ोत्तरी से डीडीए के अधिकारी काफी उत्साहित हैं। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में आमदनी का लक्ष्य 9182 करोड़ रुपए रखा गया है। राजस्व में बढ़ोत्तरी की एक वजह विशेष हाउसिंग योजनाओं की शुरुआत है। एक अधिकारी ने बताया कि दिवाली स्पेशल आवासीय योजना से डीडीए को मौजूदा वित्त वर्ष में 262 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। जबकि 2024-25 वित्त वर्ष में 2145 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। उप-राज्यपाल ने इसके लिए डीडीए अधिकारियों को बधाई दी है। अधिकारी ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में डीडीए कई योजनाएं शुरू करेगा। इसमें प्रमुख रूप से आवासों की बिक्री, सौंदर्यीकरण, विरासत का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जमीन के बुनियादी विकास के लिए 3460 करोड़ आवंटित : डीडीए ने ग्रामीण विकास के लिए दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 959 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राशि ग्रामीणों के बुनियादी विकास पर खर्च की जाएगी। डीडीए ने आवंटित भूमि एवं विकास के लिए बजट में 3460 करोड़ का प्रावधान किया है। यह बुनियादी ढांचे के विकास यानी सड़कों, सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली की लाइनें, जल निकासी, सौंदर्यीकरण पर खर्च की जाएगी। इसके साथ ही नरेला, रोहिणी समेत अन्य जगह की खाली पड़ी भूमि का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

परिवहन पर विशेष फोकस : राजधानी के विभिन्न हिस्सों को परिवहन व्यवस्था से जोड़ने के लिए चल रही यूईआर परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। निष्पादन की रफ्तार को देखते हुए बजट को 920 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1590 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बीई परियोजना को पूरा करने के लिए 400 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। दिल्ली मेट्रो के मौजूदा चरण को देखते हुए 350 करोड़ रुपए के बजट को बढ़ाकर 390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 275 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मैदानगढ़ी स्थित एसएएआरसी (सार्क विश्वविद्यालय) एवं केंद्रीय सशस्त्र को छतरपुर से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जोड़ने के लिए छतरपुर रोड को प्राथमिकता से लिया गया है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेहरू प्लेस एवं भीकाजी कामा प्लेस में निर्माणाधीन दो बहुमंजिला कार पार्किंग के अलावा नेताजी सुभाष प्लेस में एक अन्य कार पार्किंग का भी प्रस्ताव है। इसके लिए आगामी वित्त वर्ष में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधिकारी ने बताया कि किराड़ी एवं द्वारका में स्टॉर्म वाटर चैनल, रानी खेड़ा से रोहिणी सेक्टर-40 तक के वाटर ड्रेन के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2025-25 में क्रमशः 165 और 267 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

स्वच्छता एवं हरियाली पर विशेष जोर : यमुना रिवर फ्रंट को विकसित करने के लिए यमुना नदी में ईको प्रणाली की इकॉलॉजिकल हेल्थ में बढ़ोतरी के लिए यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र का कायाकल्प एवं पुनर्रोद्धार किया जाएगा। आईटीओ के पास यमुना के किनारे असिता पार्क, सराय काले खां के पास बांसेरा पार्क और कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट को विकसित किया जा रहा है। द्वारका सेक्टर-20 में निर्माणाधीन भारत वंदना पार्क के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान था।

पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए बजट में 66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लालकिले के पीछे दिल्ली चलो पार्क, घाटा मस्जिद पार्क, सद्भावना पार्क और उर्दू अकादमी पार्क के पुनर्विकास का प्रस्ताव है। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए द्वारका, रोहिणी में निर्माणाधीन खेल परिसर एवं गोल्फ कोर्स एवं नरेला के लिए खेल परिसर का प्रस्ताव है। इसके लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कड़कड़डूमा टीओडी प्रोजेक्ट के लिए प्रावधान किया गया है। अधिकारी ने बताया कि 22 मंजिला 497 ईडब्ल्यूएस आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बाकी के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

डीडीए की बोर्ड बैठक

- मालामाल हुआ डीडीए, राजस्व में 75 फीसद का इजाफा
- वरदान साबित हुई विशेष हाउसिंग योजना की शुरुआत
- बुनियादी विकास पर फोकस कर 8811 करोड़ के बजट का किया प्रावधान
- मौजूदा वित्त वर्ष में 2145 करोड़ का राजस्व मिलने का है अनुमान

'जहां झुग्गी वहां मकान' के लिए 1953 करोड़

नई दिल्ली (एसएनबी)। डीडीए ने बुनियादी विकास पर फोकस करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 8811 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बजट का अनुमोदन किया। डीडीए की मजबूत रणनीति की वजह से राजस्व में 75 फीसद का इजाफा हुआ है। जहां झुग्गी-वहीं मकान योजना के तहत झुग्गी क्लस्टरों के विकास के लिए 1953 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में डीडीए को 7696 करोड़ का राजस्व मिला है, जबकि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 4,392 करोड़ था। राजस्व में बढ़ोतरी से डीडीए के अधिकारी काफी उत्साहित हैं। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में आमदनी का लक्ष्य 9182 करोड़ रुपए रखा गया है। राजस्व में बढ़ोत्तरी की एक वजह विशेष हाउसिंग योजनाओं की शुरुआत है।

- डीडीए ने किया बजट प्रावधान

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 8 फरवरी • 2024

----------DATED----------

सरकारी जमीन पर कब्जा डकैती के समान : हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा, निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें अधिकारी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा डकैती के समान है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कहा कि इस पर निगरानी के लिए ड्रोन और उपग्रह चित्र (सैटेलाइट इमेज) का इस्तेमाल करें। अदालत ने सुनवाई में मौजूद एमसीडी अधिकारी को फाइल देखने के बाद बृहस्पतिवार को भी पेश होने को कहा। इसमें संबंधित डीडीए अधिकारी को भी उपस्थित होने को कहा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र संरक्षित स्मारकों निजामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास एक अवैध निर्माण पर नाराजगी व्यक्त की और टिप्पणी की कि पुलिस और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सूचना के बावजूद अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा ने कहा, जनता जमीन खो रही है। राज्य संपत्ति खो रहा है। जब भी कोई अवैध निर्माण होता है तो निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत गैर सरकारी संगठन जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दावा किया गया था कि बावली गेट के पास खसरा संख्या 556 जियारत गेस्टहाउस, हजरत निजामुद्दीन दरगाह पुलिस बूथ के पास अवैध निर्माण किया जा रहा है।

संरक्षित स्मारकों पर अवैध निर्माण पर कहा, अफसरों ने सूचना के बाद भी कर्तव्य का पालन नहीं किया

वकील राकेश लाकड़ा के माध्यम से प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और एएसआई गेस्टहाउस में निर्माण को रोकने में विफल रहे हैं, जो केंद्रीय संरक्षित स्मारकों निजामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के 100 मीटर के भीतर था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उच्च

यह धारणा बन रही कि कानून नाम की कोई चीज नहीं

अदालत ने गेस्टहाउस के मालिक से भी सवाल किया कि पहले से ही सील की गई संपत्ति पर तीन मंजिलों का निर्माण करने का दुस्साहस कैसे किया। अदालत ने कहा, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। यह अवधारणा बन रही है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है। किसी कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा, डीडीए और एमसीडी दोनों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चीजें किसी के समर्थन के बिना नहीं हो सकतीं। यदि समर्थन नहीं है, तो मिलीभगत की कोई रणनीति अपनाई गई होगी।

न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संपत्ति को सील कर दिया गया था, लेकिन बाद में अवैध निर्माण फिर से होने लगा। वकील ने दलील दी कि इस क्षेत्र में अधिकारियों ने बड़ी संख्या में अवैध गेस्ट हाउसों को संचालित करने की अनुमति दी है। इससे क्षेत्र के पर्यावरण, विरासत और सांस्कृतिक महत्व को खतरा है। एजेंसी

नहीं बिके डीडीए के फ्लैट, फिर होगी ई-नीलामी

नई दिल्ली। डीडीए की दिवाली विशेष आवास योजना 2023 (ई-नीलामी) फेज-दो भी पहले की योजनाओं की तरह विफल हो गई है। इसमें शामिल 2093 फ्लैटों में से लोगों ने सिर्फ 744 फ्लैट ही बुक कराए। ऐसे में योजना के बचे हुए फ्लैटों को बेचने के लिए एक बार फिर ई-नीलामी होगी। डीडीए के अनुसार, द्वारका सेक्टर-19 बी और सेक्टर-14 के बचे हुए फ्लैटों के लिए ई-नीलामी होगी। लोकनायकपुरम के एमआईजी फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ स्कीम से बेचा जाएगा। नरेला सेक्टर-ए1 व ए4 में एमआईजी फ्लैटों को डिस्काउंट पर बेचने के लिए पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत 440 से अधिक फ्लैट ऑफर किए जाएंगे। इनमें आम जनता के लिए 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ब्यूरो

डीडीए के बजट में 8811 करोड़ का प्रावधान

अगले साल बुनियादी ढांचे के विकास पर रहेगा जोर, राजस्व में 75% की बढ़ोतरी हुई

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। डीडीए अगले साल बुनियादी विकास पर ध्यान देगा। इसके लिए उसने आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 8811 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

डीडीए ने बजट बैठक में अपने राजस्व में 75% की बढ़ोतरी होने का दावा किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में डीडीए को 7696 करोड़ राजस्व के रूप में मिले, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 4392 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इसके मद्देनजर उसने आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में 9182 करोड़ रुपये आय का लक्ष्य रखा है। डीडीए कई विकासात्मक योजनाएं शुरू करेगा, इसमें आवासों की बिक्री, सौंदर्यीकरण, विरासत का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। दिवाली स्पेशल आवासीय योजना से डीडीए को 262 करोड़ का राजस्व मिला है। नए वित्त वर्ष में 2145 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। डीडीए अगले वर्ष ग्रामीण विकास के लिए दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत कर रहा है। इसके तहत 959 करोड़ रुपये से ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आवंटित भूमि एवं विकास के लिए 3460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

परियोजनाओं में तेजी के लिए बजट बढ़ाया

डीडीए ने परिवहन व्यवस्था के लिए चल रहीं यूईआर परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए बजट बढ़ाया है। इसके तहत 920 करोड़ से बढ़ाकर 1590 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बीई परियोजना को पूरा करने के लिए 400 करोड़ दिए जाएंगे। मेट्रो के लिए बजट 350 करोड़ से बढ़ाकर 390 करोड़ किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 275 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नेहरू प्लेस एवं भीकाजी कामा प्लेस में निर्माणाधीन दो बहुमंजिला कार पार्किंग के अलावा नेताजी सुभाष प्लेस में पार्किंग बनाने के लिए भी 70 करोड़ रखे गए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI | बृहस्पतिवार, 8 फरवरी 2024 D

2024-25 के लिए डीडीए का 8811 करोड़ का बजट मंजूर, एलजी ने लगाई मुहर

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बोर्ड के अध्यक्ष व उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बैठक में 2024-25 के लिए 8811 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। साथ ही एलजी ने कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरली दे दी। पूंजीगत व्यय वार्षिक आवंटन का 61 प्रतिशत लगभग बनता है। बजट में दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही हरित व सुंदर दिल्ली बनाने पर जोर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2023-24 के लिए 7,643 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया था। वहीं अब 2024-25 के लिए 8811 करोड़ रुपए के बजट में कई योजनाएं शामिल की है। उपराज्यपाल ने चालू वित्त वर्ष में डीडीए की प्राप्तियों में 75 प्रतिशत, लगभग 7696 रुपये के भारी उछाल पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जबकि गत वर्ष यह राशि महज 4392 करोड़ रुपये थी। बजट में डीडीए ने अपना राजस्व लक्ष्य 9182 करोड़ रुपये आंका है, जो कि चालू वर्ष से लगभग 19 प्रतिशत अधिक है। बजट में बताया गया कि डीडीए ने चालू वित्तीय वर्ष में 8804 करोड़ रुपये से विकास कार्य किए है जो कि एक है गत वर्ष की व्यय 5189 रुपये की तुलना में लगभग 69 प्रतिशत अधिक है। बजट में डीडीए ने आगामी योजना के बारे में लिखा है कि करोडों की परियोजनाओं से दिल्ली का विकास किया जाएगा। इस बजट में गत वर्ष की दिवाली विशेष आवास योजना की सफलता खूब दिखाई दी है। बजट में कहा गया है कि डीडीए का सामान्य विकास खाता (जीडीए) अधिशेष आई 2023-24 के अनुसार 262 करोड़ और रु, बजट अनुमान 2024-25 में 2145 करोड़ रुपए है।

डीडीए का अनुमान है कि आगामी दस साल में ऐसा समय आएगा जब डीडीए का जीडीए भी सरप्लस में होगा। वहीं एलजी ने बजट पर कहा कि प्राधिकरण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अनेक विकासात्मक परियोजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगी जिसमें आवासीय योजनाएं अहम होंगी। वहीं दिल्ली की सुंदरता, राजधानी का जीर्णोद्धार और अनेक विरासतों के संरक्षण की परियोजनाओं सहित अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित व्यय अनुमान 9182 करोड़ रुपये रखा गया है। बजट में भूमि और विकास के लिए 3460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें भौतिक अवसंरचना सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति, बिजली लाइनें, जल निकासी, सौंदर्यीकरण, सौन्दर्य उन्नयन एवं विकास। जिसमें नरेला, द्वारका, रोहिणी और अन्य क्षेत्रों के उप शहरों में स्ट्रीट स्केटिंग किया जाता है। परिवहन के यूईआर टू के निर्माण कार्य की परियोजना लागत रु. 6421 करोड़ है जो केवल दिल्ली भाग में तेजी से पूरा होने वाला है। इसके निष्पादन की तीव्र गति को देखते हुए 2023-24 के लिए आवंटन रुपये 920 करोड़ से बढ़ाकर 1590 करोड़ किया गया है। इसी तरह 2023-24 में दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं के चरण चार के लिए आवंटन 350 करोड़ से बढ़ाकर 390 करोड़ किया है। वहीं 2024-25 के लिए 275 करोड़ का प्रावधान किया है। मल्टीलेवल कार पार्किंग नेहरू प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस के अलावा, नेताजी सुभाष में एक और मल्टी-लेवल कार पार्किंग प्रस्ताचित है जिसके लिए बजट 2024-25 में 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।